शरावती जलविद्युत परियोजना को NBWL की स्वीकृति

स्रोत: द हिंदू

कर्नाटक में शरावती पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, हालाँकि **पश्चिमी घाट स्थित शरावती घाटी लायन-टेल्ड मकाक अभयारण्य** पर इसके **पारिस्थितिकीय प्रभाव** को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

- अब यह परियोजना अंतिम NBWL अनुमोदन के लिये वापस लौटने से पहले **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** के तहत अनुमोदन प्राप्त करेगी।

शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य

- यह **कर्नाटक के शिवमोग्गा ज़िले** में **शरावती नदी घाटी** में स्थित है और **पश्चिमी घाट** में 431.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह क्षेत्र वनस्पति और जीव-जंतुओं की प्रचुरता के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ **धूपा, गुलमावु और नंदी** जैसी प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।
- वन्यजीवों में **बाइसन, चित्तीदार हरिण, बाघ, तेंदुआ और लायन-टेल्ड मेकाक** शामिल हैं।
- प्रमुख आकर्षणों में **जोग जलप्रपात, लिंगनमक्की जलाशय** और विविध प्रकार के पशु-पक्षी शामिल हैं।

शरावती पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत परियोजना

- यह **शरावती घाटी लायन-टेल्ड मेकाक अभयारण्य** में प्रस्तावित **2,000 मेगावाट की परियोजना** है, जो **ग्रिड स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा** के लिये पंप स्टोरेज प्रणाली का उपयोग करती है। इसमें **गेरुसोप्पा (निचला)** और **तालाकाले बाँध (ऊपरी)** के बीच भूमिगत टरबाइनों के माध्यम से जल प्रवाह किया जाएगा।

पश्चिमी घाट

भारत के चार जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक; यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त (2012)

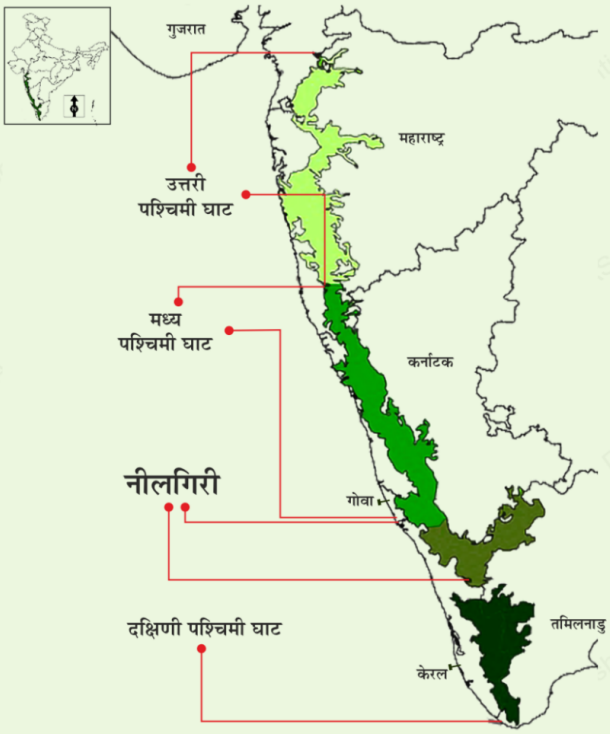

नदियाँ (उद्गम)

- पश्चिम की ओर बहने वाली: पेरियार, भरतपुझा, नेत्रवती, शरावती, मंडोवी
- पूर्व की ओर बहने वाली: गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती, काबिनी

स्थानिक प्रजातियाँ

- नीलगिरी तहर (IUCN स्थिति - EN)
- शेर पूंछ मकाक (IUCN स्थिति - EN)

महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र

- बायोस्फीयर रिज़र्व- अगस्त्यमाला और नीलगिरि
- राष्ट्रीय उद्यान- साइलेंट वैली, बांदीपुर, एराविकुलम, वायनाड-मुदुमलाई, नागरहोल
- बाघ अभयारण्य- कलक्कड़-मुंडनथुराई, पेरियार

प्रमुख दर्रे

- थाल घाट दर्रा (कसारा घाट)
- भोर घाट दर्रा
- पलक्कड़ दर्रा (पाल घाट)
- अम्बा घाट दर्रा
- नानेघाट दर्रा
- अम्बोली घाट दर्रा

महत्त्व

- जलविद्युत उत्पादन
- भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है
- कार्बन पृथक्करण (हर साल ~ 4 MT कार्बन को निष्प्रभावी बनाना)
- जैवविविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक (प्रजातियों और स्थानिकता की समृद्धि के कारण)
- लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट अयस्कों, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पाम और रबर से समृद्ध
- सर्वाधिक आदिवासी आबादी (PVTGs सहित)
- महत्त्वपूर्ण पर्यटन/तीर्थस्थल

नाम

- सह्याद्री- उत्तरी महाराष्ट्र; सह्य पर्वतम- केरल

पर्वत प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण

- दृष्टिकोण 1: अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण बनने वाले भ्रंशोत्थ पर्वत
- दृष्टिकोण 2: वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के भ्रंशोत्थ कगार/किनारे

प्रमुख चट्टानें

- बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, खोंडालाइट, कायांतरित नीस, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, लौह अयस्क

भौगोलिक विस्तार

- सतपुड़ा (उत्तर में) से तमिलनाडु के अंत तक कन्याकुमारी (दक्षिण में)

पर्वत श्रृंखलाएँ

- नीलगिरि पर्वतमाला, शेवारॉय और तिरुमाला श्रृंखला
- सबसे ऊँची चोटी- अनामुडी (केरल)

प्रमुख खतरे

- खनन, औद्योगीकरण
- वनोपज का बड़े पैमाने पर दोहन
- मानव-वन्यजीव संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार
- पशुओं की चराई, वनों की कटाई
- बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ
- जलवायु परिवर्तन

प्रमुखी समितियाँ

- गाडगिल समिति (2011) (पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति)
  - सिफारिशें: श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में घोषित किया जाना चाहिये।
- कस्तूरीरंगन समिति (2013)
  - सिफारिश: समूचे क्षेत्र के बजाय, पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए + ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

Drishti IAS

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) क्या है?

- **परिचय: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL)** एक **वैधानिक निकाय** है, जिसे वर्ष 2003 में [वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972] की **धारा 5A** के तहत गठित किया गया था। यह **भारतीय वन्यजीव बोर्ड (1952)** का स्थान लेकर **वन्यजीव संरक्षण और वन विकास** पर **सर्वोच्च परामर्शदाता संस्था** के रूप में कार्य करता है।
- **संरचना: NBWL एक 47-सदस्यीय वैधानिक बोर्ड है,** जिसकी अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं, जबकि **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं।**
  - सदस्यों में **थल सेना प्रमुख, रक्षा सचिव, व्यय सचिव** जैसे अधिकारी शामिल होते हैं, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नामित **10 प्रतिष्ठित संरक्षण विशेषज्ञ** भी सदस्य होते हैं। **वन महानिदेशक (वन्यजीव) के अतिरिक्त महानिदेशक इस बोर्ड के सदस्य-सचिव होते हैं।**

- **प्रमुख कार्य**: यह केंद्र सरकार के लिये एक **सलाहकार निकाय** है, जो **वन्यजीव संरक्षण** नीतियों का मार्गदर्शन करने**, वन्यजीव संरक्षण** से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिये ज़िम्मेदार है।
    - यह **संरक्षित क्षेत्रों (PA)** और **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों** (10 किमी के भीतर) में और उसके आसपास की परियोजनाओं को मंज़ूरी प्रदान करता है।
- **स्थायी समिति:** स्थायी समिति NBWL के अंतर्गत एक छोटी संस्था है जिसमें अधिकतम **10 सदस्य** होते हैं, जिसकी अध्यक्षता **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री करते हैं।
    - यह एक **परियोजना मंजूरी निकाय** के रूप में कार्य करता है, जो **संरक्षित क्षेत्रों और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों** में प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करने के लिये ज़िम्मेदार है, जबकि पूर्ण NBWL **व्यापक नीतिगत निर्णयों** पर ध्यान केंद्रित करता है।

वन्यजीव संरक्षण पहल

वन्यजीव के लिये संवैधानिक प्रावधान

- **42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976:** वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण (राज्य से समवर्ती सूची में हस्तांतरित)
- **अनुच्छेद 48 A:** राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का प्रयास
- **अनुच्छेद 51 A (g):** वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिये मौलिक कर्त्तव्य

वैधानिक ढाँचा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002

प्रमुख संरक्षण पहलें

- **वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास (IDWH):**
  - वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
  - एक केंद्र प्रायोजित योजना
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-2031)**
- **संरक्षित क्षेत्रों में इको-पर्यटन के लिये दिशानिर्देश**
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो:** वन्यजीव संबंधी अपराधों से निपटने हेतु
- **वन्यजीव प्रभाग (MoEFCC):**
  - जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के संरक्षण हेतु नीति और कानून
  - IDHW, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB):** खुफिया जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार, केंद्रीकृत वन्य जीवन अपराध डेटाबैंक की स्थापना, समन्वय आदि।
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण:**
  - ऑपरेशन सेव कुर्मा
  - ऑपरेशन थंडरबर्ड

प्रजाति-विशिष्ट पहल

- गंगा नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट (धेनुक) की सुरक्षा एवं संरक्षण
- गंगा नदी के गैर-संरक्षित क्षेत्र में डॉल्फिन संरक्षण
- जंगली भैंसों के लिये संरक्षण प्रजनन केंद्र (वर्ष 2020)
- हिम तेंदुए के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2009)
- गिद्धों के लिये पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (वर्ष 2006)
- प्रोजेक्ट एलिफेंट (वर्ष 1992)
- प्रोजेक्ट टाइगर/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) (वर्ष 1973)

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के साथ भारत का सहयोग

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (CMS)
- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)
- विश्व विरासत सम्मेलन
- रामसर कन्वेंशन
- वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क (TRAFFIC)
- यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (UNFF)
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC)
- प्रकृति संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN)
- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

दृष्टि The Vision | d
Drishti IAS

लायन-टेल्ड मेकाक से संबंधति मुख्य बदिु क्या हैं?

- **लायन-टेल्ड मेकाक (मेकाक सिलेनस)** विश्व की एक **पुरानी बंदर प्रजाति** है जो भारत के **पश्चिमी घाटों** में पाई जाती है।
  - **इसे "वांडरू" या "बियर्ड अपे"** भी कहा जाता है, यह अपने **काले चेहरे और ठोड़ी के चारों ओर विशिष्ट हल्के रंग के अयाल (बालों का घेरा) के लिये जाना जाता है।**
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **आकार:** यह मेकाक बंदरों में सबसे छोटे प्राणियों में से है; इसका **वजन 2 से 10 किलोग्राम** के बीच होता है, शरीर की **लंबाई 42 से 61 सेमी** है, और पूंछ लगभग 25 सेमी लंबी होती है
  - **स्वरूप:** सिर और ठोड़ी के चारों ओर **हल्के भूरे/चांदी रंग के बालों** के साथ **काला फर।**
  - **सामाजिक व्यवहार: पदानुक्रमित समूहों (10-20)** में रहता है ; **शर्मीला और क्षेत्रीय**। **प्रमुख नर** घुसपैठियों को चेतावनी देने के लिए ऊँची आवाज़ में **'हूप'** की आवाज़ निकालते हैं।
  - **सक्रियता क्षेत्र:** पेड़ों पर रहना पसंद करता है, खासकर **ट्रॉपिकल आर्द्र सदाबहार जंगलों** की **ऊपरी छतरी (कैनोपी)** में अधिक समय बिताता है।
- **आवास एवं वितरण:**
  - **पश्चिमी घाटों में स्थानिक, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु** में पाया जाता है; **अप्रभावित, निरंतर सदाबहार वन** को पसंद करता है, **विखंडन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील**।
    - **अनामलाई हिल्स**, **नेलियामपैथी**, **नीलांबुर घाट**, **शोलायार**, **गवी**, **सबरीमाला**, **वल्लीमलाई हिल्स**, **अगुम्बे** और **वालपराई पठार** (अनामलाई टाइगर रिज़र्व) जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **आहार और पारिस्थितिक भूमिका:** यह मुख्य रूप से **फलभक्षी है, फल, बीज, पत्ते, कलियाँ, कीड़े और छोटे कशेरुकी जीव** खाता है। यह **बीज प्रसार** और **वन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **खतरे: वनों की कटाई**, कृषि, शहरीकरण के कारण 99% से अधिक आवास नष्ट हो गए, **जिसके कारण विखंडन, प्रतिबंधित आवागमन और आनुवंशिक प्रवाह** हुआ।
  - **आवास क्षरण और भोजन की कमी के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष** बढ़ रहा है, जिससे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है।
  - **केरल वन अनुसंधान संस्थान (KFRI) और मैसूर विश्वविद्यालय (2024)** की रिपोर्ट के अनुसार, **केवल 4,200 ही बचे हैं, जो मूल आबादी का केवल 25%** है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट I
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

नोट: मानवीय दबाव के बीच रणनीतिक आवास उपयोग

- केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में **वन्यजीव अध्ययन केंद्र (CWS)** द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि **लायन-टेल्ड मेकाक मानव उपस्थिति** के आधार पर अपने व्यवहार को अनुकूलित करते हैं।
  - बफर ज़ोन (अधिक अशांत क्षेत्र) में रहने वाले एक दल ने छोटे क्षेत्र में सीमित रहकर ज़्यादातर समय मध्य छायादार हिस्से **(कैनोपी)** में रहते है (94.2%) तथा ज़मीन से रहने से बचते।
  - इसके विपरीत **कोर ज़ोन (कम परेशान)** में एक दल ने **एक बड़े क्षेत्र** का उपयोग किया और वन तल का भी उपयोग किया, जिससे प्रजातियों की **पारिस्थितिक लचीलापन** प्रदर्शित हुआ।

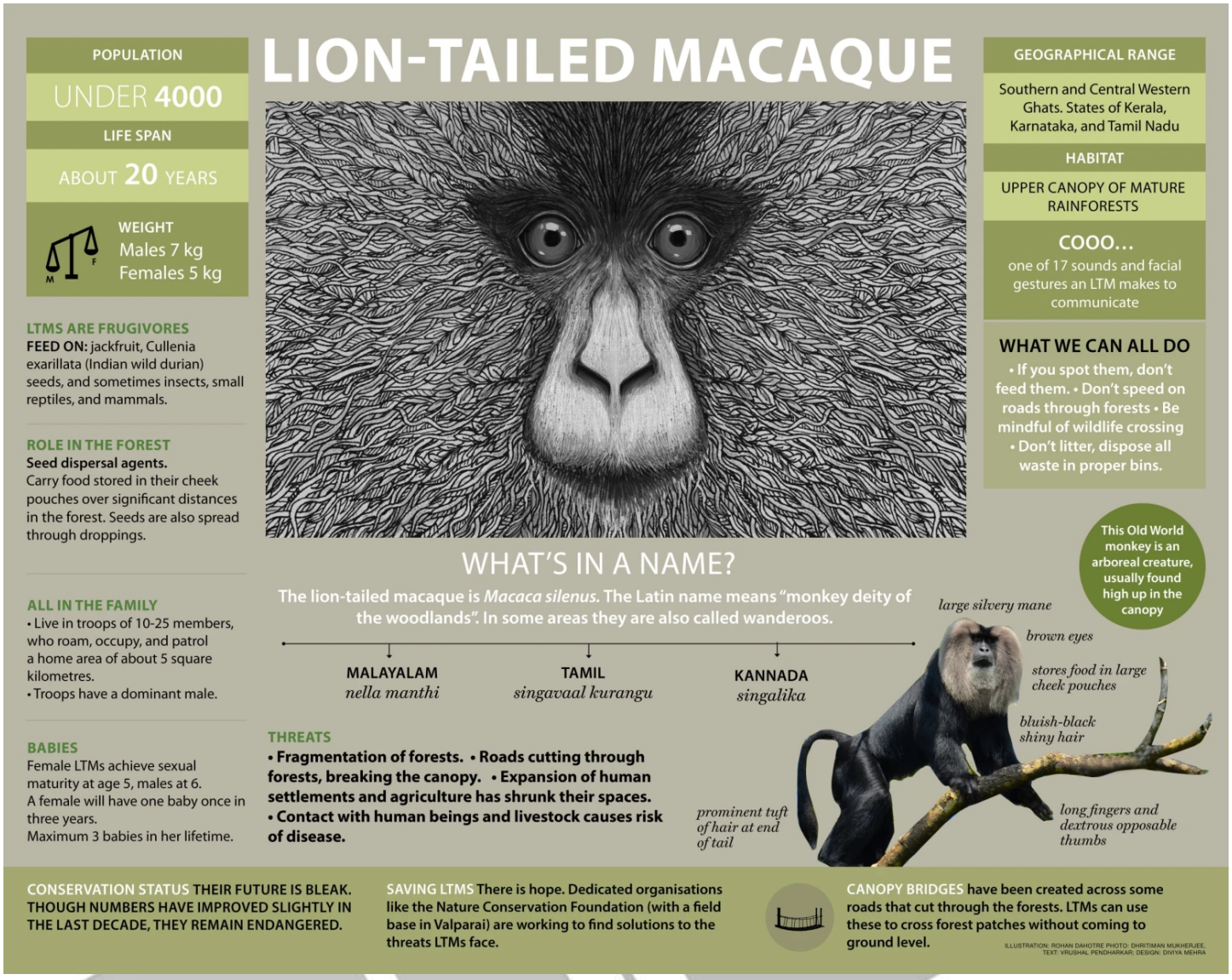

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????

प्रश्न. निम्नलिखित में से जानवरों का कौन-सा समूह लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? (2012)

(A) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा
(B) कश्मीरी हिरण, चीतल, नील गाय और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
(C) हिम तेंदुए, स्वैंप हिरण, रीसस बंदर और सारस (क्रेन)
(D) शेर पूँछ वाले मकॉक, नील गाय, हनुमान लंगूर और चीता

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020)

(a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है।
(b) ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती।
(c) यह एक आनुवंशिक: रूपांतरित फसली पौधा है।
(d) ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिये हानिकारक होता है।

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/nbwl-approval-to-sharavathi-hydroelectric-project